न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 100/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/830

अनवान

1. श्रीमती सुन्दर कुंवर पत्नी स्व0 किशोर सिंह राजपूत मृतक के बजाय–
1/1. श्री शम्भू सिंह पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड
1/2. श्री महावीर सिंह पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड
1/3. श्री रणजीत सिंह पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड़
1/4. श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड
1/5. श्री टिकम सिंह पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड
1/6. श्रीमती दुर्गा कुंवर पिता स्व0 किशोर सिंह राजपूत निवारी कानोड

...........वादीगण

बनाम्

1. मृतक श्री मोहनलाल पिता भानीराम लखारा निवासी कानोड़ के बजाय–
1/1. श्री रघुनाथ पिता स्व0 मोहनलाल लखारा निवासी कानोड़
1/2. श्री बंशीलाल पिता स्व0 मोहनलाल लखारा निवासी कानोड़
1/3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व0 मोहनलाल लखारा निवासी कानोड
1/4. श्रीमती जमना बाई पुत्री स्व0 मोहनलाल लखारा निवासी कानोड
2. श्री रतनलाल पिता भानीराम लखारा निवासी कानोड़
3. श्री रामचन्द्र पिता हीरालाल लखारा निवासी कानोड़
4. श्री भगवतीलाल पिता हीरालाल लखारा निवासी कानोड़
5. श्री केशवलाल पिता हीरालाल लखारा निवासी कानोड़
6. मृतक श्री शिवलाल पिता हीरालाल लखारा निवासी कानोड़ के बजाय–
6/1. श्रीमती रेखा पत्नी स्व0 शिवलाल लखारा निवासी कानोड़
6/2. श्री नटवरलाल पिता स्व0 शिवलाल लखारा निवासी कानोड़
6/3. श्री कैलाश पिता स्व0 शिवलाल लखारा निवासी कानोड़
7. श्री राधाकिशन पिता हीरालाल लखारा निवासी कानोड
8. श्री गोवर्धनलाल पिता छगनलाल लखारा निवासी कानोड़
9. श्री जमनालाल पिता छगनलाल लखारा निवासी कानोड़
10. श्री सुरेश कुमार पिता छगनलाल लखारा निवासी कानोड़
11. श्री राज्य सरकार जरिए तहसीलदार कानोड़

.......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता वादीगण।
2 श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

सहायक कलक्टर भीण्डर उदयपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 रा0का0अ0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.08.2022

1. वादीगण द्वारा धारा 88,188,53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण माता पुत्र होकर शामिल शरीक रहते हैं और शामलाती कारोबार है।

Scanned by CamScanner

यह कि वादी संख्या 1/1 से 1/6 के माता एवं पूर्व वादिया स्व. सुन्दर कुंवर ने अन्तिम समय में जो कि देहानत दिनांक 28.8.1987 को हुआ कि उसी साल दिनांक 1.7.1987 को पति एवं वादी संख्या 2 के पिताजी ने जो कि अव्वल से आखिर समय तक सेवाएं करते रहे हैं कि उन्होंने शेष आराजी विवादित आराजी संख्या 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जो कि खातेदारी व स्वामित्व व आधिपत्य को वसीयत वादी संख्या 2 को कर दी जो कि व सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व हो आराजीयात भोगने के पूर्ण अधिकारी हो प्राप्ति रिलीफ के विधिपूर्ण है। सजरा वंशावली का निम्न प्रकार है:-

श्री किशोरसिंह
|
श्रीमती सुन्दर कुंवर वादी संख्या 1
|

शंभुसिंह	महावीर सिंह	रणजीत सिंह	अजयकुंवर	गुलाबकुंवर	टीकम सिंह
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्र

2. यह कि वादिया के पति व पिता द्वारा खरीदी सम्पत्ति भूमि आराजीयात कस्बा कानोड़ में स्थित जमाबन्दी संख्या 272 पर आ.नं. 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आ.संख्या 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जो कि कुल आराजी में से जरिये विक्रयपत्र दिनांक 29.11.1977 को किता 1 आ.संख्या 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को विक्रय प्रतिवादीगणों ने करा दी जो कि वे अधिकारी नहीं हो, वादीया का समावेश हो स्वामित्व व आधिपत्य शेष हो। विक्रय शून्य हो एवं अवैध हो।
3. यह कि भूमि आराजी मात्र विक्रय पत्र अंकित दिनांक उक्त केवल 4 बीघा 10 बिस्वा ही बय की व कराई फिर क्यों कर अन्य शेष आराजी संख्या 1182 में एक बीघा 2 बिस्वा आ. सं. 1182 पर प्रतिवादीगण अतिक्रमणकारी है, जो कि हक सम्पत्ति घोषणात्मक हिस्सा अनुसार तथा सम्पूर्ण भूमि उक्त खुली कराये जा अतिक्रमण हटाये जाने वो दाखिल खारिज व बंटवाड़ा कार्यवाही अवैध हो दखल या घोषणा कराये जाने विधिपूर्ण रिलीफ पाने का पूर्ण अधिकारी है, वो भूमि पाने का तथा विक्रय सम्पूर्ण आराजी खातेदारी विक्रय एवं रदोबदल दाखिल खारिज कार्यवाही शून्य अवैध घोषणात्मक के हो, रिलीफ प्राप्ति के है।
4. यह कि उक्त विक्रय पत्र ने सहमती हस्ताक्षर अन्य उत्तराधिकारी से हस्ताक्षर करा लिये जो कि वादिया सहमत नहीं है, जो कि हक त्यागने के रूप में अधिकृत नहीं हो विधि पूर्ण हस्तान्तरण बेअंनामा सम्मिलित नहीं हुआ कि अति आवश्यक अनिवार्य हो थे, जिसमें भी वादीया के पिता जीवित मान हो वादिया के संरक्षक होते हुए भी कोई सहमति हस्ताक्षर उक्त बेयनामा दिनांक 29.11.1977 बिना इस पूर्ति द्वारा [illegible] आराजी के विधि से परे हो, शून्य एवं प्रभावहीन हो पालनार्थ के नहीं [illegible] का हक हिस्सा हकसर समावेश होते हुए खातेदारी राईट [illegible] के है एवं [illegible] से परे हो भूमि हक हिस्सा वादीगण पाने तथा सम्पूर्ण हस्तान्तरण भी शून्य हो व प्राप्ति वादीगण भोगने व पाने व स्वामित्व आधिपत्य हक समाप्ति हो भूमि पाने के पूर्ण अधिकारी हर प्रकार है बेदखली के प्रतिवादीगण है कि वादी रिलीफ पाने का पूर्ण अधिकारी है।
5. यह कि विक्रयपत्र उक्त में तथाकथित दायभागीयों की जानकारी एवं सहमति साक्ष्य गवाह न के रूप में अंकित उल्लेखित हो किये जाने से हक भूमि समापन हुआ है कि वादीगण का हक जो कि हस्तान्तरण नहीं के बराबर हो, शून्य है। वादीगण हरहालात में हक हिस्सा व रिलीफ पाने के सम्पूर्ण आराजीयात 5.5 बीघा ही पाने के तथा हकसर हिस्सा पाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinh Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

था और माताजी की विलायत संरक्षण में हो था तो उनको सम्मिलित नहीं हो किये जाने उपरांत हस्ताक्षर न हो जो किये जो कि हक हिस्सा शेष हे ऐसी दशा में सम्पूर्ण रूप से वैधिक तौर रिलीफ प्राप्ति के है।

6. अतः प्रार्थना है कि निम्न प्रकार डिक्री प्रदान कराई जावे:–
कि विवादित सम्पत्ति हस्तान्तरण अवैध शून्य घोपित हो किये जाने वादी का हक अधिकार हिस्सा अनुसार स्वामित्व व आधिपत्य को घोषणात्मक व इस्तकरारे हक कायम किये जा शान्ति पूर्ण हक सम्पत्ति भोगते रहे कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जा हकरार बंटवाडा भूमि कराये जा दखली कब्जा दिलाये जाने की तथा खाता अंकित रदो बदल किये जाने व बेदखल भूमि प्रतिवादीगण किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिलाई जावे तथा हस्तान्तरण भूमि घोषणा कराये जाने निरस्त आराजी संख्या 1182 1 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण खाते अंकित आ.नं. 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा अनुमति वादी के हस्तान्तरण हो किये जा शून्य निरस्त घोषणात्मक तथा अमान्य हो वादी को हक हिस्सा अनुसार विभाजित हो दाखिल या भूमि वो हटाये जाने अतिक्रमण आदि डिक्री एवं हस्तान्तरण भूमि शून्य हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की तरफ से जवाब व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 माता एवं पुत्र है किन्तु शामिल शरिक रहना एवं सामलाती कारोबार होने का कथन अस्वीकार है। जहां तक आ0न0 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का वादी संख्या 2 के पक्ष में वसीयत करने का प्रश्न है तो यह कथन जानबूझ कर मिथ्या एवं मनगड़न्त अंकित किया गया है। वैसे भी यह अंकित नहीं किया गया है कि दिनांक 28.8.1987 को किस व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ तथा किस व्यक्ति को वादीगण ने अव्वल से आखिर तक सेवा की। वादीगण द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया है, वह भी अपूर्ण होकर गलत है। सजरे पश्चात यह नहीं दर्शाया गया है कि सजरे में अंकित व्यक्तियों का क्या वर्णन है।

8. प्रतिवादीगण द्वारा कथन कहा गया की आ0नं0 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं आ0नं0 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्वर्गीय श्री किशोर सिंह से प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के पिता श्री हीरालाल तथा प्रतिवादी संख्या 8–10 के पिता श्री छगनलाल चारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया है, जिससे उक्त दोनों आराजीयात के उत्तरदाता प्रतिवादीगण खातेदार होकर आधिपत्यधारी है। वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है, न ही माननीय न्यायालय को किसी भी विक्रय पत्र को शून्य, अवैध, घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है, जिससे वादीगण किसी प्रकार की घोषणा अथवा निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। स्वर्गीय श्री किशोर सिंह द्वारा प्रतिवादी पक्ष के हक में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, वह पूर्णतया वैधानिक होकर [illegible] प्रतिवादी पक्ष ही वादग्रस्त आराजीयात के स्वामी खातेदार काश्तकार [illegible] आधिपत्यधारी है जिससे उन्हें बेदखल किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

9. प्रतिवादी द्वारा विशेष कथन प्रस्तुत कर कहा गया कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में ठिकाना खुदकाश्त कानोड़ की थी। जिससे राव साहब श्री करण सिंह द्वारा आ0नं0 1182 एवं 1181 दोनों कुल किता 2 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती कुन्दनकुंवर विधवा श्री सावन्त सिंह जी को दिनांक 14.3.1959 को विक्रय कर आधिपत्य सुपुर्द कर दिया गया तथा उक्त भूमि श्रीमती कुन्दरकुंवर के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गयी। यद्यपि उक्त भूमि श्री किशोर सिंह द्वारा क्रय की गयी थी। किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उन्होंने भूमि अपनी माता श्रीमती कुन्दन कुंवर के नाम से क्रय की इसी कारण विक्रय भी श्रीमती कुन्दन कुंवर के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। श्रीमती कुन्दन कुंवर के देहावसान के पश्चात उपरोक्त भूमि श्री किशोर सिंह के नाम अंकित हो गयी। स्वर्गीय किशोर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित आराजीयात को सर्व श्री मोहनलाल, छगनलाल, हीरालाल, एवं रतनलाल चारों पुत्रों श्री भाना लखारा को दो अलग अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। विक्रय पत्रों के अनुसार उक्त भूमि क्रेतागण के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गयी।

10. क्रेतागण श्री मोहनलाल, रतनलाल, हीरालाल, एवं छगनलाल में से श्री हीरालाल एवं छगनलाल की मृत्यु हो चुकी है। श्री हीरालाल के वारिसान प्रतिवादी सं. 3 से 7 है एवं श्री छगनलाल के वारिसान प्रतिवादी सं. 8 से 10 है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी पक्ष का कब्जा सन् 1977 से ही लगातार चला आ रहा है जिसको 28 वर्ष हो गये है। इस कारण उतरदाता प्रतिवादीगण का कब्जा गत 28 वर्षो से लगातार रहने से प्रतिकुल आधिपत्य के आधार पर भी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार एवं आधिपत्यधारी है इस कारण भी उतरदाता प्रतिवादीगण को बेदखल किये जोने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण द्वारा यह वाद बेदखली आराजीयात बाबत् लाया गया है जो स्वीकृत तथ्यों के अनुसार 12 वर्ष के पश्चात का है इस कारण वादीगण का वाद स्पष्टतया अवधिपार है जिससे वादीगण का वाद मात्र इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त योग्य है।

11. प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड़ में कृषि आराजी नं. 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं आ.न. 1182 रकबा एक बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है।

I. कि उपरोक्त वर्णित दोनो आराजीयात समस्त राजस्व अभिलेखों में मोहनलाल, छगनलाल, रतनलाल, पिता भाना जी 3/4 हि0ब0 एवं मु0 दोली बाई बेवा हीरालाल 1/4 हिस्सा के अनुसार अंकित है।

II. कि उक्त दोनो कृषि आराजीयात पर प्रतिवादी पक्ष का गत 28 वर्षो से लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा चला आ रहा है।

III. कि उतरदाता प्रतिवादी पक्ष द्वारा आ0न0 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को दिनांक 29.11.1977 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा एवं आ0न0 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1977 से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया है तथा स्व. श्री किशोर सिंह जो द्वारा मोहनलाल, छगनलाल, हीरालाल, रतनलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित एवं पजिंबद्ध करवाये गये है इस कारण उतरदाता प्रतिवादी पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो स्वंय वादीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली आराजीयात बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

IV. कि उतरदाता प्रतिवादी पक्ष का गत 28 वर्षो से लगातार आधिपत्य समस्त ससार की जानकारी में एवं वादीगण की जानकारी में शांतिपूर्वक बिना रोकटोक चला आ रहा है जिससे प्रतिवादी पक्ष प्रतिकुल आधिपत्य के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है।

V. अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित करायी जावे कि काउन्टर क्लेम की कलम नम्बर एक में वर्णित आराजीयात में वादीगण प्रवेश नहीं करे, न ही प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पेदा करे, न ही इस प्रकार के किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

12. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तथाकथित भूमि आराजीयात स्थित में हम वादीगण का पूर्ण रूप से हक हिस्सा हिस्सेदार एवं वरीयत के आधारित लाभ पाने के पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्वक षडयन्त्रकारी हो हक सम्पति हडपने उतारू है अतिक्रमणकारी है कदापि अधिकारी नही है न ही काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हो किये जाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का कथन अमान्य होकर वरीयत का कथन सत्य है। प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विकय पत्र प्रभावहीन होकर निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण ने दोनों बिकावनामें अलग-अलग तारीखों में लिखाये जो जाली, फर्जी होकर बनावटी है तथा काउन्टर क्लेम का जवाब देते हुए बताया कि वादीगण का पूर्ण रूप से हक, हिस्सा कण-कण में समावेश हो, हकदार, हिस्सेदार एवं वरीयत के आधारित लाभ पाने के अधिकारी है।

13. प्रतिवादीगण अतिकमी है, जिनसे उन्हें कोई स्वामित्वता प्रदान नहीं होती है। प्रतिवादी काउन्टर क्लेम में कोई सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण की सम्पूर्ण सम्पति हकदार स्वामित्व घोषणा कराये जा कय विकय अवैध घोषित कराये जा निरस्त कराये जा हस्तान्तरण शून्य कराये जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावें एवं वादीगण का वाद डिकी किया जावें।

प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गईः-

I. आया वादीगण विवादित आराजीयात में अपने हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है।

......जिम्मे वादीगण

II. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के अतिकमी है।

.........जिम्मे वादीगण

III. वादीगण हिस्सेनुसार बंटवाडा कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.........जिम्मे वादीगण

IV. आया विवादित आराजियात स्व. किशोर सिंह जी से प्रति. सं. 1,2 एवं प्रति. सं. 3 से 7 के पिता श्री हिरालाल तथा प्रति. सं. 8 से 10 के पिता श्री छगनलाल चारों द्वारा रजि. विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया।

......जिम्मे प्रतिवादीगण

V. आया प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध जरिये काउन्टर क्लेम स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.......जिम्मे प्रतिवादीगण

14. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्लयू 1 श्री टिकमसिंह पिता किशोरसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री महावीर सिहं स्व. किशोरसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री होला पिता वरदा गायरी का प्रस्तुत किया गया। वादीगण [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2050-2053 प्रदर्श-1, नामान्तरकरण संख्या 1194 [illegible] नामान्तरण संख्या 1196 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2033-2036 [illegible] संख्या 1181 प्रदर्श-5A पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यवादी शपथ [illegible] पिता भानीराम का प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2050-2052 प्रदर्श A-1 प्रस्तुत की जो यही जमाबंदी वादी ने प्रदर्श-1 के रूप में पेश की है। रजिस्टर्ड विकय पत्र आराजी संख्या 1182 प्रदर्श A 1 द्वितीय जिसकी छायाप्रति A1A है। जमाबंदी सम्वत् 2033-2036 प्रदर्श A2 जो यही जमाबंदी वादी ने प्रदर्श-4 के रूप में पेश की है। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रदर्श A-2, नक्शा टेस प्रदर्श A-3, नामान्तरण संख्या 1195 प्रदर्श A-4, नामान्तरण

Scanned by CamScanner

संख्या 1196 प्रदर्श A5 जिसे वादी ने भी प्रदर्श–3 के रूप में पेश किया है। सम्वत 19.. की जमाबंदी प्रदर्श A–6, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदश A–7 प्रस्तुत किये है।

16. प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादीगण का वाद खारिज कर प्रतिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

17. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस एवं तर्को पर मनन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1. आया वादीगण विवादित आराजीयात में अपने हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है।

उपरोक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2050–2053 प्रदर्श–1, नामान्तरकरण संख्या 1194 प्रदर्श–2, नामान्तरण संख्या 1196 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2033–2036 प्रदर्श–4, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी संख्या 1181 प्रदर्श–5A पेश किये तथा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री टिकमसिंह पिता किशोरसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री महावीर सिहं स्व. किशोरसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री होला पिता वरदा गायरी का प्रस्तुत किया गया। वादीगण के कथनानुसार वादीगण माता–पुत्र होकर शामिल शरीफ रहते है। वादी संख्या 1 के पति व 2 के पिता द्वारा आराजी संख्या 1182 किता 1 बीघा 2 बिस्वा वादी संख्या 2 को वसीयत कर दी। स्व. किशोरसिंह के पीछे सुन्दर कुंवर पत्नी (वादी संख्या 1), टीकमसिंह पुत्र (वादी संख्या 2), शम्भुसिंह, महावीरसिंह, रणजीतसिंह पुत्र एवं अजय कुंवर, गुलाब कुंवर पुत्रिया है। वादी संख्या 1 के पति द्वारा कस्बा कोनोड में आराजी संख्या 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि खरीदी जिसमें से आराजी संख्या 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादीगणों को विक्रय कर दी शेष भूमि वादीगण की है फिर भी आराजी संख्या 1182 पर प्रतिवादीगण अतिक्रमणकारी है। इस कारण प्रतिवादीगणों को आराजी संख्या 1182 से हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने व बंटवाडा कराया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 के अध्ययन से यह पाया कि उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 आराजी नं. 1181 से संबंधित है तथा प्रदर्श 3 आराजी नं. 1182 से संबंधित है। वादीगण द्वारा यह कथन कहा गया कि आराजी नं. 1182 पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया गया है जबकि दस्तावेज के अध्ययन से यह पाया कि उक्त आराजीयात को स्व. श्री किशोरसिंह द्वारा स्वयं प्रतिवादीगण को विक्रय की गई थी। वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को फर्जी होना बताया जबकि वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को खारिज किये जाने बाबत् कोई वाद पेश नहीं किया गया। वादीगण द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वादीगण द्वारा आराजी नं. 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के विक्रय ... प्रतिवादीगणों को करने की बात को स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ... के अध्ययन से यह पाया कि पूर्व में उक्त आराजीयात स्व. श्री ... कुंवर के नाम ... थी जो विरासत स्व. किशोरसिंह के नाम दर्ज हुई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ... विक्रय पत्र की प्रतिलिपि से यह पाया कि आराजी नं. 1181 पर विक्रय पत्र लिखने की तिथि से ही प्रतिवादीगण को कब्जा सुपर्द किया गया था। इस प्रकार दस्तावेज व साक्ष्य के अध्ययन से यह पाया कि वादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी नं. 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है तथा फर्जी विक्रय पत्र द्वारा भूमि को अपने दर्ज नाम करवाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivji Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण सिद्व करने में असमर्थ रहे है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण पक्ष में निर्णित की जाती है।

II. तनकी संख्या 2 आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के अतिक्रमी है।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा वादीगण पर है। साक्ष्य एवं दस्तावेजो के अध्ययन से यह पाया कि आराजी नं. 1181 को स्व. किशोरसिंह द्वारा प्रतिवादीगणों को विक्रय की गई थी इस बात को वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है। चूकि तनकी संख्या 1 में वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि प्रतिवादीगणों द्वारा आराजी संख्या 1182 को फर्जी विक्रय पत्र से क्रय की है तथा प्रतिवादीगणों का उक्त आराजी संख्या 1182 पर कब्जा किया गया है। उक्त आराजी को स्व. श्री किशोरसिंह द्वारा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गई है। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य दस्तावेजों में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह साबित हो कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के अतिक्रमी है। इस कारण प्रतिवादीगण को अतिक्रमी साबित करने में वादीगण असफल रहे है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

III. तनकी संख्या 3 आया वादीगण हिस्सेनुसार बंटवाडा कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा वादीगण पर है चूकिं तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चूकिं है। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं व न हीं बंटवाडा करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अभिलिखित खातेदार है। अतः उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस कारण उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

IV. तनकी संख्या 4 आया विवादित आराजीयात स्व. श्री किशोरसिंह जी से प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3, 7 के पिता श्री हिरालाल तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के पिता श्री छगनलाल चारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज के रूप में रजिस्टर विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श ए1ए है। उक्त तनकी में प्रतिवादीगण को यह सिद्ध करना है कि क्या उन्होने विवादित आराजीयात को स्व. श्री किशोरसिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया या नहीं। विवादित आराजीयात स्व. श्री किशोरसिंह द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र से क्रय की जिसके रजिस्टर विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रदर्श A1A है। उक्त रजिस्टर विक्रय पत्र को वादीगण द्वारा निरस्त कराने के लिए किसी प्रकार का कोई वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। पात्र कथनों के आधार पर विक्रय पत्र को फर्जी बताने संबंधी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आराजी संख्या 1181 को विक्रय होना वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्वीकार कर कब्जा स्वीकारा है। आराजी नं. 1182 संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त विक्रय फर्जी है। अतः उक्त तनकी में प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे कि विवादित आराजी संख्या 1182 को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से स्व. श्री किशोरसिंह द्वारा क्रय किया गया था। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण साबित करने में सफल रहें है, उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadra
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

V. तनकी संख्या 5 आया प्रतिवादीगण, वादीगण के विरूद्ध जरिये काउन्टर क्लेम, स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर है। वादग्रस्त आराजी संख्या 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन् 1977 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श A1A व प्रदर्श 5A से होती है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया था जिसे वादीगण द्वारा निरस्त कराने के लिए कभी भी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया था। उक्त विक्रय पत्र को मिथ्या होने का कोई भी प्रमाण वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त विक्रय पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है। आराजी नं. 1181 पर वादीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त आराजी 1181 पर प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जहां तक आराजी नं. 1182 का सवाल है उक्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है जो कभी भी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 30.07.2010 को वादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। जिसकी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रदर्श A2 है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उक्त आराजीयात में वादीगण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण, वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर यह पाया कि वादग्रस्त आराजीयात आराजी नम्बर 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पूर्व में स्व. श्रीमती कुंदनकुंवर के नाम दर्ज थी। स्व. श्रीमती कंदनकुंवर के देहावसान के पश्चात उपरोक्त भूमि स्व. श्री किशोरसिंह के नाम विरासत से दर्ज हुई। स्व. श्री किशोरसिंह द्वारा अपने जीवन काल में ही वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.12.1977 द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वादीगण द्वारा यह कहना की उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध व फर्जी विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया है। वादीगण सिद्ध करने में असफल रहें है। वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को अवैध घोषित करने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है न ही उक्त विक्रय पत्र को अवैध घोषित कराने के लिए किसी सक्षम न्यायालय से राहत ली गई है। प्रतिवादीगण के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी संख्या 1181 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1182 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन् 1977 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श A 1 A व प्रदर्श 5 A से होती है। उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया था जिसे वादीगण द्वारा निरस्त कराने के लिए कभी भी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया था। उक्त विक्रय पत्र को मिथ्या होने का कोई भी प्रमाण वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त विक्रय पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है। आराजी नं. 1181 पर वादीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त आराजी 1181 पर प्रतिवादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जहां तक आराजी नं. 1182 का सवाल है उक्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है जो कभी भी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने काउक्टर क्लेम के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 30.07.2010 को वादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। जिसकी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रदर्श A2 है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उक्त आराजीयात में वादीगण को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चुंकि संख्या 1 से 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं तनकि संख्या 4 व 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड़ भू अभिलेख निरीक्षक कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में जमाबंदी सम्वत् 2050—52 खाता संख्या 767 आराजी नम्बर 1181, 1182 किता 2 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि में भू—प्रंबधन के बाद नये खसरा नंबर के आधार पर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner